



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 अग्रहायण 1943 (श10)
(सं0 पटना 975) पटना, मंगलवार, 30 नवम्बर 2021

fcgkj fo/kku lHkk lfpoky;

vf/k l puk

30 नवम्बर 2021

सं० वि०सं०वि०-28/2021-3257/वि०सं०-“बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021” जो बिहार विधान सभा में दिनांक 30 नवम्बर, 2021 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से,
शैलेन्द्र सिंह,
सचिव।

[वि०स०वि०-23/2021]

fcgkj rduhdh lok vk;kx %l'kk/ku% fo/k; d] 2021

बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014) (समय-समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत-गणराज्य के बहतरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1- lfkjlr uke] foLrkj vkj ikjHkA&

- (1) यह अधिनियम "बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021" कहा जा सकेगा।
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014) की धारा-3(ii) का संशोधन :-

अधिनियम की धारा-3(ii) में **bjkT; ljdkj d lkekU; i'kklu foHkx }kjk fu;ä jkT; lok d 5 vf/kdkjh ftudh U;ure ,d o"k dh lok 'k"k gkHk** शब्दों के स्थान पर **bjkT; ljdkj d lkekU; i'kklu foHkx }kjk fu;ä jkT; lok d 5 vf/kdkjh %** शब्द रखे जायेंगे।

3. बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014) की धारा-4 के पहले परन्तुक का संशोधन एवं धारा-4 के दूसरे परन्तुक के बाद एक अन्य परन्तुक का जोड़ा जाना :-

- (1) अधिनियम की धारा-4 के पहले परन्तुक को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:-
"परन्तु राज्य सरकार द्वारा विशेष परिस्थिति में, अध्यक्ष या किसी सदस्य के कार्यकाल का विस्तार उस अवधि के लिए जो विनिश्चित किया जाय, किया जा सकेगा।"
- (2) अधिनियम की धारा-4 के दूसरे परन्तुक के बाद तीसरा परन्तुक निम्नवत् जोड़ा जायेगा :-
"परन्तु आयोग के अध्यक्ष का पद, रिक्त रहने की स्थिति में, अध्यक्ष पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, आयोग के वरीयतम सदस्य कार्यकारी व्यवस्था के तहत अध्यक्ष के दायित्वों का निर्वहन करेंगे। सदस्य की वरीयता की गणना आयोग के सदस्य के रूप में योगदान की तिथि के आधार पर की जायेगी।"

4. बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014) की धारा- 5 का संशोधन :-
अधिनियम की धारा-5 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा -

5. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की उम्र-सीमा :-

आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में कार्यरत रहने की अवधि तीन वर्ष या 70 वर्ष की आयु, इसमें से जो पहले हो, तक होगी।"

5- fujlu ,o 0;koffkA-

- (1) बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (बिहार अध्यादेश-04, 2021) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

mí'; ,o gr

"बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014" के तहत बिहार तकनीकी सेवा आयोग का गठन किया गया है और चूँकि उक्त अधिनियम की धारा-3 (ii) में यह प्रावधान किया गया है कि इस आयोग के सदस्य राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नियुक्त वैसे 5 पदाधिकारी होंगे जिनकी न्यूनतम एक वर्ष सेवा शेष हो। ऐसी स्थिति में बिहार प्रशासनिक सेवा एवं बिहार अभियंत्रण सेवा के कार्यरत पदाधिकारी जहाँ अधिकतम 59 वर्ष की आयु पूरी होने तक इस आयोग के सदस्य होने के पात्र होंगे, वहीं बिहार चिकित्सा सेवा के कार्यरत पदाधिकारी अधिकतम 66 वर्ष की आयु पूरी होने तक इस आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त होने के पात्र हो सकते हैं। लेकिन 59 वर्ष एवं 60 वर्ष के बीच की आयु सीमा के बिहार प्रशासनिक सेवा एवं बिहार अभियंत्रण सेवा के पदाधिकारी तथा 66 वर्ष एवं 67 वर्ष के बीच की आयु सीमा के बिहार चिकित्सा सेवा के पदाधिकारी इस आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाने की पात्रता नहीं रखते हैं। साथ ही, अधिनियम की धारा-5 में आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की आयु-सीमा नियुक्ति के समय सेवा निवृत्त पदाधिकारियों के मामले में अधिकतम-62 वर्ष निर्धारित की गयी है। राज्य सरकार के अंतर्गत चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की आयु संप्रति 67 वर्ष है (वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-6745 दिनांक-30.07.2015 द्वारा संशोधित)। ऐसी स्थिति में सेवानिवृत्त चिकित्सक अधिनियम की उक्त धारा के अंतर्गत बिहार तकनीकी सेवा आयोग के सदस्य के पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त उक्त संशोधनों के फलस्वरूप अधिनियम की धारा-4 के दूसरे पन्तुक के बाद तीसरा पन्तुक जोड़ा जाना भी आवश्यक है।

इस निमित्त बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014) की धारा-3, 4 एवं 5 में कतिपय संशोधन करना इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है जिसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

uhr'h'k dekj
Ekj&lk/d InL;

पटना
दिनांक-30.11.2021

शैलेन्द्र सिंह,
सचिव,
बिहार विधान सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 975-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>